न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 694 / 2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भोमसिंह पुत्र रिडमल सिंह जाति राजपूत निवासी– हतुण्डी तहसील बाावडी जिला जोधपुर।		1. भंवरसिंह पुत्र उमसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र उमसिंह 3. जब्बरसिंह पुत्र उमसिंह 4. नारायणसिंह पुत्र उमसिंह 5. मनोहरसिंह पुत्र उमसिंह 6. लाडूकंवर पत्नी भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी– हतुण्डी तहसील बाावडी जिला जोधपुर। 7. राजस्थान राज्य तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनाक 09.12.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 180 / 2018 अनवान भंवरसिंह बनाम भोमसिंह वगैराह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अशोक पूनिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री भंवरसिंह तापू, श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 1 ता 5 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 26 मई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक ता पांच द्वारा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम हतुण्डी के ख0सं0 287 रकबा 12.12 बीघा भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ख0सं0 287 व अप्रार्थी के खसरा संख्या 288 के खेतों की माठोमाठ चिपते हुए आये हुए है जिनके बीच की की माठ नहीं है जिससे अप्रार्थीगण अतिक्रमण करने पर आमदा है। रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2022 को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट का इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम हतुण्डी के ख0सं0 287 रकबा 12.12 बीघा भूमि की नेखमबन्दी किये जाने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ख0सं0 287 व अप्रार्थी के खसरा संख्या 288 के खेतों की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

माठोमाठ चिपते हुए आये हुए है जिनके बीच की की माठ नहीं है जिससे अप्रार्थीगण अतिक्रमण करने पर आमदा है। उक्त खसरान संख्या 287 भूमि की अप्रार्थीगण ने तहसीलदार बावडी के पैमाइश आदेश से दिनांक 8.6.2018 को मौका फर्द तैयार की गई जिसके अनुसार ख0सं0 287 की 05 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रार्थी के ख0सं0 288 में मिली हुई आई तथा उक्त रकबा अप्रार्थीगण के पास कम है। अप्रार्थीगण के उक्त खेत पर प्रार्थीगण ने अतिक्रमण करके खुटे रोपकर अतिक्रमण करना चाहता है एवं मौका फर्द मे भी विरोधाभासी माप आया है। इसलिये पत्थरगढी करवाई जाने के आदेश प्रदान करावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज करते हुए विप्रार्थीगण को नोटिस करने तथा तहसीलदार बावडी से सीमाकंन हेतु पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट ने जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावे का अवसर बंद किये जाने का आदेश दे दिया तथा बिना कोई जॉच, साक्ष्य सबूत लिये तथा तहसीलदार से सीमाज्ञान की रिपोर्ट मंगवाये ही अपीलाधीन आदेश के जरिये भूमि की सीमाज्ञान व नेखमबन्दी का आदेश पारित कर दिया जिसे विधि अनुकूल उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में जवाब एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र के अनुसार बिना कोई मौका जॉच व साक्ष्य सबूत के स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम की पूर्णतः पालना नहीं की है क्योंकि नेखमबन्दी के प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 ने ख0सं0 287 की 05.14 बीघा भूमि अपीलार्थी के कब्जे में तथा उसके ख0सं0 288 में मिली हुई होनी बताई जिस पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है। ऐसे में वादग्रस्त भूमि किसी खातेदार के कब्जे में नहीं हो तो वादग्रस्त भूमि की धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार सीमांकन व नेखमबन्दी की कार्यवाही नहीं करवाई जा सकती थी और न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस का प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पोषणीय था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से तथा उक्त नेखमबन्दी के आदेश के जरिये अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा उक्त खसरान भूमि की नेखमबन्दी किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2022 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या एक ता पांच की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालाय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया ग्राम हतुण्डी के ख0सं0 287 रकबा 12.12 बीघा भूमि पर प्रार्थी व सहखातेदार के रूप में कब्जा काश्त करते आ रहे है। जिसके पूर्व की तरफ ख0सं0 288 रकबा 17.16 बीघा भूमि है जो अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 6 के नाम दर्ज है। उक्त ख0सं0 287 व 288 दोनों खसरे माठोमाठ चिपते हुए है इनके बीच माठ नहीं होने से अन्य सहखातेदार रेस्पोडेन्टस की भूमि पर कब्जा कर मेड तारबन्दी व पत्थर के जुटे रोपने की कोशिश कर अतिक्रमण करना चाहते है।

रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त भूमि तहसीलदार बावडी से दिनांक 8.6.2018 को पैमाइश करवाई जिसमें ख0सं0 287 का भाग बिन्दू संख्या 4,6,5,11 भाग ख0सं0 288 में मिला हुआ पाया गया तथा ख0सं0 287 का बिन्दू संख्या 4,5,6,11 का क्षेत्रफल 05.14 बीघा जो प्रेमसिंह, भंवरसिंह वगैराह के पास कम है। ख0सं0 287 का कुल क्षेत्रफल 12 बीघा 12 बिस्वा है। रेस्पोडेन्टस की 05.14 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्ति के द्वारा बेजवह अतिक्रमण की कोशिश की गई। रेस्पोडेन्टस व अपीलान्टस की पूर्वी दिशा की सीमा नहीं होने के कारण अपीलान्टस उनकी भूमि हडपना चाहते थे जिससे आये दिन विवाद की स्थिती बनी रहती है। इसके कारण वे अपनी खसरान भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है क्योंकि पक्षकारान की उक्त खसरान भूमि की मौका फर्द अनुसार सीमाकंन करने पर माठो के माप मे मुटामों के बीच विवाद पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

रेस्पो0 संख्या एक ता पांच के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस व अन्य सहखातेदार को जरिये नोटिस जवाब प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया, परन्तु इनको जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपने पक्ष नहीं रखा जिसके कारण इनका जबाव पेश करने का अवसर बन्द कर दिया गया तथा पूर्व में मौकां फर्द का अवलोकन करने एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 287 का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है जो पूर्णत विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक ता पांच के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 9.12.2022 की पालना में तहसीलदार बावडी के आदेश दिनांक 13.12.2022 की पालना में दिनांक 27.3.2023 को खसरा संख्या 287 व 288 के मध्य माठ की सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने सम्बन्धी मौका फर्द की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की तथा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से खारिज की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 09.12.2022 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी के खसंरा नम्बर 287 की 5.14 बीधा भूमि अपीलार्थी के कब्जे मे अपीलार्थी के खसंरा नम्बर 288 मे मिली हुई है। उक्त 5.14 बीधा भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नही है। जब भूमि पर कब्जा ही नही है तो धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कब्जा प्राप्त नही किया जा सकता है, रेस्पोन्डेन्ट को विधि द्वारा स्थापित प्रकिया व सुसगत प्रावधानो के तहत कब्जा प्राप्त किए जाने की चाराजोही सक्षम न्यायालय मे की जानी चाहिए। उक्त परिक्षय मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिनुकुल नही पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09–12–2022 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–5–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर